राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र श्री घीसू लाल पिता बालु तेली निवासी कालियास हाल मुकाम रायला, तहसील बनेड़ा जिला–भीलवाड़ा

दायर 05/05/2016 | प्रकरण संख्या 06/2016 | निर्णय दिनांक 20/07/2016

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है प्रार्थी श्री घीसू लाल पिता बालु तेली निवासी कालियास हाल मुकाम रायला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2016 को तहसीलदार बनेड़ा के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया।

श्री सुवा पिता ऊंकार तेली निवासी मेंघरास ने अपने खुद के अधिकार व आधिपत्य की आराजियात नम्बर 868, 2149, 2150, 2151, 2448/866, 861, 896, 2145, 2146 जो की ग्राम मेंघरास में स्थित है में जो हक हिस्सा बनता है वो सम्पुर्ण हक हिस्से की अपंजिकृत वसियत रिस्ते में भान्जे श्री घीसू लाल पिता बालु तेली निवासी कालियास के नाम की।

प्रार्थी द्वारा वसियतकर्त्ता श्री सुवा पिता ऊंकार तेली के नाम दर्ज आराजियात नम्बर 861, 868, 896, 2149, 2150, 2151, 2448/866 में वसियतकर्त्ता का नीहित हिस्से को स्वयं के नाम पर खाता रद्दोबदल कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र के साथ अपंजिकृत व बिना नोटरी प्रमाणित वसियत नामे की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति एवमं ग्राम मेंघरास के जमाबन्दी खाता संख्या 503 सम्वत् 2066 से 2069 व खाता संख्या 519 सम्वत् 2070 से 2073 मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र की जांच पटवार हल्का मेंघरास से दिनांक 28.05.2016 को केम्प मेंघरास में कराई गई। पटवारी हल्का मेंघरास द्वारा कृषि भूमि सम्बन्धि रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। राजस्व रेकॉर्ड कि जाचं में वसियतकर्त्ता का उक्त आराजियात में 1/3 हिस्सा पाया गया।

चूकि वसियत पत्र अपंजिकृत है व नोटेरी प्रमाणित भी नहीं अतः वसियत पत्र में अंकित साक्षीयों उदा पिता रोड़ा गाडरी, कंवरअलीखां पिता उम्मेदखां निवासी मेंघरास को दिनांक 21.06.2016 को जरिये नोटिस तलब कर बयान दर्ज कराने हेतु नोटिस तामिल करवायें गयें जो शामिल पत्रावली है।

दिनांक 04.07.2016 को उक्क साक्षीगण के बयान दर्ज किये गये जिसमें दोनो गवाहों ने अपने बयानो में बताया की दिनांक 15.05.2003 को सुवा पिता ऊंकार तेली निवासी मेंघरास द्वारा जो सादा पाईप पेपर पर वसियत लिखाई गई वह सत्य व सही होकर साक्षी के रूप में जो हस्ताक्षर है वह हमारे द्वारा ही किये गये है एवंम वसियतकर्त्ता के कोई औलाद नहीं होने से उनकी देखभाल, बिमारी की हालत में सेवाचाकरी रिस्ते में उनका भान्जा वसियतगृहणकर्त्ता ही करता था एवंम मृत्यु उपरान्त समस्त सामाजिक एवंम हिन्दू रिति रिवाजों के कार्यकम भी वसियतगृहणकर्त्ता के द्वारा ही किये गये एवंम वसियतकर्त्ता के हक हिस्से भूमि जो ग्राम मेंघरास में स्थित है को वसियतगृहणकर्त्ता के नाम दर्ज करना सही है। जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार (भू. अ.)
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वसियतपत्र अपंजिकृत एवं बिना नोटेरी प्रमाणित होने से किसी भी प्रकार के उजर ऐतराज हेतु नोटिस वास्ते आम सूचना दिनांक 05.07.2016 को जारी किया गया एवम 7 दिवस का समय दिया गया जो शामिल पत्रावली है।

नोटिस वास्ते आम सूचना की एक प्रतिलिपि सम्पादक दैनिक लोक जीवन भीलवाड़ा, एक प्रति नाटिस बोर्ड तहसील कार्यालय बनेड़ा, एक प्रति ग्राम पंचायत मेंघरास, एक प्रति पटवार भवन मेंघरास व एक प्रति सार्वजनिक स्थान मेंघरास पर चस्पा हेतु जरिये तामिल कराई गई जोकि बाद तामिल प्राप्त हुई जो शामिल पत्राचली है।

दिनांक 06.07.2016 को दैनिक लोक जीवन समाचार पत्र में उजर ऐतराज हेतु नोटिस प्रकाशित हुआ जिसकी एक प्रति प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है।

भू अभिलेख निरीक्षक उपरेड़ा से मृतक वसियतकर्त्ता सुवा पिता ऊंकार तेली निवासी मेंघरास के विधिक वारिसान् की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उक्त वसियतकर्त्ता को नाऔलाद फौत बताया जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली का गहन अवलोकन व मनन किया मुताबिक अपंजिकृत व बिना नोटेरी प्रमाणित वसियत नामे में अंकित गवाहो के दर्ज बयानात, पटवारी हल्का मेंघरास व भू अभिलेख निरीक्षक उपरेड़ा की रिपोर्ट एवंम बाद समाचार पत्र दैनिक लोकजीवन की सूचना व सार्वजनिक स्थान चस्पानगी की सूचना के कोई आपत्ति एवंम उजर ऐतराज प्राप्त नही होने से यह प्रमाणित होता है कि श्री सुवा पिता ऊंकार तेली निवासी मेंघरास ने अपने जीवित रहते हुए एक अपंजिकृत वसियत की जिसके आधार पर श्री सुवा पिता ऊंकार तेली निवासी मेंघरास के नाम दर्ज ग्राम मेंघरास की कृषि भूमि आराजी नम्बर 861, 868, 896, 2149, 2150, 2151, 2448/866 कुल किता 7 रकबा 10–14 बीघा का 1/3 हिस्सा भूमि श्री घीसू लाल पिता बालु तेली निवासी कालियास हाल मुकाम रायला के नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

–:आदेश:–

अतः मुताबिक अपंजिकृत वसियत पत्र के ग्राम मेंघरास तहसील बनेड़ा के आराजी नम्बर 861, 868, 896, 2149, 2150, 2151, 2448/866 कुल किता 7 रकबा 10–14 बीघा का 1/3 हिस्सा भूमि जो की वसियतकर्त्ता सुवा पिता ऊंकार तेली निवासी मेंघरास के नाम दर्ज रिकॉर्ड है को श्री घीसू लाल पिता बालु तेली निवासी कालियास हाल मुकाम रायला के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो व अमल दरामद हेतु पटवारी हल्का मेंघरास को लिखा जावें।

निर्णय को आज दिनांक 20/07/2016 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

तहसीलदार (भू.अ.)
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार (भू0अ0)
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
(भंवर लाल कांसोटिया)

Scanned by CamScanner